सत्यमेव जयते

राजस्थान राज–पत्र साधारण	RAJASTHAN GAZETTE Ordinary
साधिकार प्रकाशित	Published by Authority

जिल्द 77 फाल्गुन 21, गुरुवार, शाके 1947–मार्च 12, 2026 अंक 50
Vol. 77 Phalguna 21, Thursday, Saka 1947–March 12 , 2026 No. 50

भाग 7

विभिन्न विभागों में प्रदायों के लिए टेण्डर मांगने की सूचनाओं को सम्मिलित करते हुए सार्वजनिक और निजी विज्ञापन आदि।

नाम/उपनाम/सरनेम परिवर्तन करने का बन्ध–पत्र

[नियम 8 राजस्थान सेवा नियम, चित विभाग के आदेश सं. एफ. 1/12/एफ.डी.ई.आर. 197, दिनांक 10–4–57 की अनुपालना में]

इस बन्ध–पत्र द्वारा मैं निम्न हस्ताक्षरकर्ता नेमीचन्द (नया नाम) जो अभी इससे पूर्व नेमीचन्द जायसवाल एवं नेमीचन्द जायलवाल (पुराना नाम) कहलाता था एवं जो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी (संबंधित राज्य कर्मचारी द्वारा उस समय धारित किये गये पद का नाम) के रूप में नेमीचन्द जायलवाल, जिला कलेक्टर कार्यालय बारां (स्थान जहां राज्य सरकार के विभाग में नियुक्त हो) पर नियुक्त था, एतदद्वाराः–

1. स्वयं तथा मेरी पत्नी एवं बच्चे जो पूर्णतया आश्रित हों मेरे पूर्व नाम नेमीचन्द्र जायलवाल उपनाम जायलवाल (सिर्फ) को त्यागता हूँ तथा उसके स्थान पर उस तारीख से नाम नेनीचन्द तथा उपनाम् ग्रहण करता हूँ एवं इसलिये मैं, मेरी पत्नी, बच्चे एतदद्वारा मेरे पूर्व उपनाम जायलवाल से न जाने जाएं तथा पहचाने जाए बल्कि मेरे द्वारा ग्रहण किये गये उपनाम नेमीचन्द द्वारा जाने जाएं।
2. उक्त मेरे निश्चय की साक्ष्य के प्रयोजन के लिए घोषणा करता हूँ कि मैं एतद्पश्चात सभी समय, निजी या सार्वजनिक सभी अभिलेखों, बंध–पत्रों प्रलेखों एवं समस्त कार्यवाहियों, व्यवहारों एवं लेन–देनों में तथा सभी अवसरों पर अपने पूर्व नाम नेमीचन्द तथा उपनाम जायलवाल एवं जायसवाल के स्थान पर उसके परिवर्तन में नेमीचन्द नाम के रूप में प्रयुक्त करूंगा एवं हस्ताक्षर करूंगा।
3. स्पष्टतः एतद्पश्चात् तथा सभी समय, सभी व्यक्तियों को मुझे, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे को तद्नुसार नये रखे नाम नेमीचन्द उपनाम के नाम से सम्बोधित करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ तथा उसके लिये निवेदन करता हूँ।

इसके साक्षी में, मैंने अपने पूर्व नाम एवं नये नाम नेमीचन्द का वर्णन किया है तथा दिनांक 21.01.2026 को हस्ताक्षर किये हैं।

हस्ताक्षरित निम्नलिखित की उपस्थिति में उपयुक्त नाम नेमीचन्द द्वारा जो पूर्व में नेमीचन्द जायलवाल एवं नेमीचन्द जायसवाल कहलाता था, हस्ताक्षर किये हैं।

साक्षी :–

1. राजेश चौधरी, प्रशासनिक अधिकारी, कलेक्ट्रेट, अजमेर।
2. गौतम कटारिया, प्रशासनिक अधिकारी, कलेक्ट्रेट, अजमेर।

नेमीचन्द
हस्ताक्षर
नया नाम : नेमीचन्द
पुराना नाम : नेमीचन्द जायलवाल एवं नेमीचन्द जायसवाल

प्रतिहस्ताक्षर
कोमल चौधरी
मुख्य लेखाधिकारी
क्ते जिला कलक्टर (प्रशा.) अजमेर।
(GF & AR3B में अधिकृत)
DDO CODE :- 106942

34524

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।